

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(71)नविवि/II/2022

जयपुर, दिनांक:

13 FEB 2023

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तों) विनियम, 1984 की अनुसूची-III अभियान्त्रिकी सेवा के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तक अधीक्षण अभियन्ता के पद की विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय को पुनर्वावलोकन किये जाने हेतु विनियम 22(4)(क) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.01.2023 की अनुशंभानुसार वर्ष 2013-14 में रिक्त रखे गये 03 अनारक्षित संवर्ग के पदों के विरुद्ध श्री हरिशंकर मीणा (अजजा) एवं श्री रामप्रसाद रैगर (अजा) की वर्ष 2014-15 में की गई पदोन्नति एवं श्री मोहन लाल मीणा की वर्ष 2015-16 में की गई पदोन्नति निरस्त कर वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	वर्ग	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री हरिशंकर मीणा	ST	2013-14	
2.	श्री रामप्रसाद रैगर	SC	2013-14	
3.	श्री मोहन लाल मीणा	ST	2013-14	

वरिष्ठता सूची में श्री हरिशंकर मीणा एवं श्री मोहन लाल मीणा का नाम श्री वेदप्रकाश वर्मा के ऊपर एवं श्री रामप्रसाद रैगर का नाम श्री वेदप्रकाश वर्मा के नीचे अंकित किया जायेगा। शेष पदोन्नतियां यथावत रहेगी।

उक्त पदोन्नति आदेश राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 772/2023 में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अपदेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. संबंधित अधिकारियों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

Signature valid

Digitally signed by Anandesh Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.02.13 17:57:16 IST
Reason: Approved